


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

क्रा :- 178/2013

रामचन्द्र बनाम राजाराम

क आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी को सांयकाल 6 बजे तक बार बार आवाज लगाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आएँ न ही प्रार्थी की ओर से अन्य कोई पैरवी करने हेतु हाजिर अदालत आयें। अतः प्रार्थना पत्र (अस्थायी निषेधाज्ञा) का अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर) जयपुर</p>	